फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द

1 समस्त प्रार्थीगण जैन समाज खटामला तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द जरिये प्रतिनिधि जसवन्त कुमार पिता सोहनलाल जी बापना, राजेन्द्र कुमार पिता गणेशमल जी बापना, प्रवीण कुमार पिता गणेशमल जी बापना निवासी खटामला तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद

2 ग्राम पंचायत खटामला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खटामला तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द

3. भगवान महावीर जैन श्वेताम्बर ट्रस्ट, खटामला पंजीकृत ट्रस्ट जरिये ट्रस्टी/सदस्य प्रवीण बाफना

– प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुंवारिया जिला राजसमंद

2 श्री उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द जिला राजसमंद

3 पुरातत्व विभाग, जोधपुर जरिये अधीक्षक, पुरातत्व विभाग, जोधपुर

– अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र गुप्त निधि दाफिना एक्ट **पत्रावली संख्या 01/2024**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 14.05.2024 प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत खटामला एवं भगवान महावीर जैन श्वेताम्बर के सदस्य प्रवीण बाफना मय अधिवक्ता मुकेश तलेसरा उपस्थित। विपक्षी की ओर से विपक्षी राज्य सरकार एवं पुरातत्व विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 12.02.2024 को राजस्व ग्राम खटामला, ग्राम पंचायत खटामला, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द में राजकीय भुमि में नरेगा के कार्य के दौरान भुमि खुदाई से प्राप्त जैन अरिहन्त परमात्मा जिनेश्वर देव की मूर्ति प्राप्त हुई है। जिसको राज्य सरकार द्वारा अपने प्रतिनिधि तहसीलदार के माध्यम से ग्राम पंचायत को तहवील	हिम्मतसिंह चुण्डावत सरपंच ग्राम पंचायत खटामला पं.स. व जि.-राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर

में लेकर सुपुर्द किया है। उक्त मूर्ति को विधिवत जैन मन्दिर में स्थापित करना एवं इसकी सेवा पुजा करने एवं आराधना हेतु प्रार्थीगण एवं समाज को सुपुर्द किया जाना आवश्यक है जिससे कि मूर्ति की विधिवत मन्दिर में स्थापना कर उसकी सेवा, पूजा, आराधना तथा दर्शन किये जा सके। चूंकि विधि अनुसार मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसको सरकार अपने पजेशन में रखे जाने से हमारी धार्मिक आस्था प्रभावित हो रही है। शाश्वत नाबालिग को विधिवत स्थापित कर हम प्रार्थीगण समाजजन एवं पंजीकृत संस्था को दिये जाने से हमारे द्वारा इसकी विधि विधान से स्थापना कर सुरक्षित रखते हुऐ सेवा, पूजा, आराधना आदि हमारे धर्म गुरू के माध्यम से एवं उनके निर्देशानुसार सम्पादित की जायेगी इससे उक्त प्राप्त मूर्ति को प्रार्थीगण एवं समाजजन तथा पंजीकृत संस्था को सिपूर्द करने का आदेश फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। उक्त मूर्ति को प्रार्थीगण द्वारा कहीं भी खुर्द बुर्द नहीं की जायेगी। बल्कि उसकी विधिवत स्थापना कर सेवा पुजा की जायेगीं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्राप्त मूर्ति को प्रार्थीगण एवं समाजजन तथा पंजीकृत संस्था को सिपूर्द करने का आदेश फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त संबंध में पूर्व में दिनांक 16.02.2024 को समस्त प्रार्थीगण जैन समाज खटामला द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। जिसे कार्यालय के सामान्य अनुभाग से रिकॉर्ड पर लिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द तथा पुरातत्व विभाग से रिपोर्ट तलब की गई। पुरातत्व विभाग जोधपुर के पत्र क्रमांक 46 दिनांक 04.04.2024 तथा उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट के पत्र क्रमांक/न्याय/2024/504 दिनांक 08.05.2024 का अवलोकन किया गया तथा दिनांक 13.05.2024 को इसे न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया। यह मूर्ति वर्षों पुरानी है जो भुमि की खुदाई में प्राप्त हुई है। उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा दिनांक 08.05.2024 को प्रेषित रिपोर्टानुसार दिनांक 12.02.2024 को नरेगा कार्य के दौरान प्राप्त मूर्ति को तहसीलदार कुंवारिया द्वारा तहवील में लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय खटामला में ताला व सीलबन्द कर रखा है। पुरातत्व विभाग अधीक्षण पुरातत्वविद् जोधपुर द्वारा प्रेषित की गयी रिपोर्ट दिनांक 04.04.2024 के अनुसार उक्त प्रतिमा का निरीक्षण दिनांक 20.03.2024 को करने के पश्चात् प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में उक्त **प्रतिमा संवत् 1472** की होकर **श्री अजीतनाथ** की होना प्रथमदृष्टया उत्कीर्ण हैं तथा यह भी अंकित किया है कि ग्रामवासी द्वारा पंजीकृत संस्था को समाज समिति के

न्यायालय जिला कलक्टर

अधिकारी द्वारा प्रशासन को लिखित आश्वासन पत्र देने पर प्रतिमा को शोध आदि कार्य में आवश्यकता होने सहयोग करेगें तथा समिति द्वारा सुरक्षा रखरखाव का संपूर्ण दायित्व लेने पर समिति को सिपूर्द की जा सकती है।

अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त मूर्ति पुरातत्व विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण/पंजीकृत संस्था होने से वर्णित शर्तानुसार मूर्ति को सिपूर्द किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है साथ ही यह भी निवेदन किया उक्त मूर्ति की स्थापना माननीय सर्वाच्च न्यायालय द्वारा पारित स्टेट ऑफ गुजरात बनाम भारत संघ के आदेश के दिशा निर्देश की अनुपालना की जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/पंजीकृत संस्था को दिनांक 12.02.2024 राजस्व ग्राम खटामला में प्राप्त प्रतिमा(मूर्ति) जो पुरातत्व विभाग के प्रतिवेदन अनुसार **संवत् 1472** की होकर **श्री अजीतनाथ** की होना प्रथमदृष्टया उत्कीर्ण हैं उक्त प्रतिमा को जमानतनामा व सिपूर्दीनामा प्रस्तुत करने पर निम्नांकित शर्तो के साथ सिपुर्द करने के आदेश किये जाते है।

(1) प्रार्थीगण उक्त प्रतिमा को खुर्द–बुर्द एवं किसी को विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करेगा ।

(2) प्रार्थीगण न्यायालय जब भी उक्त प्रतिमा को किसी भी शोध आदि कार्य में शासन को आवश्यकता होगी, तो प्रतिमा को न्यायालय में पेश करेगा।

(3) प्रार्थीगण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2009 स्टेट ऑफ गुजरात बनाम भारत संघ की पालना करेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर,
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)